



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257639
CG-DL-E-03102024-257639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]
No. 280]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2024
मामला सं. एडी (एसएसआर)-04/2024

विषय: चीन जन. गण., मलेशिया और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " ब्लैक टोनर –पाउडर रूप में" के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.नं. 7/12/2024-DGTR.—1. मेसर्स प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" भी कहा है) ने 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., मलेशिया और ताईवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ब्लैक टोनर – पाउडर रूप में" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया है और समीक्षा का अनुरोध किया है तथा

संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की अवधि को जारी रखने का अनुरोध किया है।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 6/6/2020 - डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2020 के माध्यम से पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू करने सिफारिश करते हुए अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020 के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए। वित्त मंत्रालय द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना संख्या 22/2020- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अगस्त, 2020 के माध्यम से लगाया गया था।
4. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2021 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 12/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 05 मार्च, 2021 के माध्यम से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 10 अगस्त, 2020 से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद पाउडर रूप में ब्लैक टोनर है। जांच के दायरे में निम्नलिखित प्रकार के टोनर शामिल हैं :
 - क) कलर टोनर
 - ख) एमआईसीआर टोनर (चेकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)
 - ग) मुद्रण उपकरण के मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
 - घ) कार्ट्रिज में टोनर
 - ड.) तरल रूप में टोनर
6. चूंकि वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है इसलिए स्थापित न्यायशास्त्र और प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल जांच में परिभाषित था।
7. संबद्ध उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 37 (फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक वस्तुएं) के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। आठ अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 37079010 हैं। तथापि, आयात आंकड़ों से यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु को 37079090 वर्गीकरण के अंतर्गत भी आयातित किया गया था। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है। विवाद की परिस्थितियों में उत्पाद विवरण लागू होगा।

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु एक समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध मेसर्स प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो पीओआई के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के एक मात्र उत्पादक (100 प्रतिशत) हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है और उन्होंने प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे भारत में

संबद्ध वस्तु किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। अतः आवेदकों को नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माना जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक नियम 5(ख) के अंतर्गत स्थिति संबंधी परीक्षण को भी पूरा करते हैं।

ड. संबद्ध देश

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., मलेशिया और ताईवान हैं।
11. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के कारण क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से भारत को संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है। अतः यदि शुल्क हटाया जाता है तो मलेशिया से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की प्रबल प्रथमदृष्ट्या संभावना है।

च. पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह न दर्शाएं कि पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।
13. अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है।

ताईवान के लिए सामान्य मूल्य

14. संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

15. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से निर्धारित किया गया है और समुद्री भाडा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और आदि के कारण कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

16. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. और ताईवान से पाटन मार्जिन नकारात्मक है।
17. घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसकी बाजार आसूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु के निर्यातक/आयातक घरेलू उद्योग में कीमत के कटौती के लिए आयात के बाद छूट दे रहे हैं। तदनुसार, पाटन मार्जिन की निम्नांकित गणना बाजार की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। घरेलू उद्योग ने इस मुद्दे की जांच करने और पाटन मार्जिन की गणना के लिए आयात कीमत से आयात के बाद की छूटों को समायोजित करने का अनुरोध भी किया है।

क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके निष्पादन में शुल्क लगने के कारण सुधार हुआ है जो शुल्क हटाए जाने पर उसे क्षति के खतरे को दर्शाता है। संबद्ध देश से क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं। आवेदकों ने वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को संबद्ध देश से पाटन और क्षतिकारी निर्यातों की अधिशेष क्षमताओं निर्यातोन्मुख होने और मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में जानकारी दी है, जो समग्र और संचयी रूप से प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

19. हालाँकि, एंटीडॉपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को चोट जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए, प्राधिकरण आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पार्टियों से जांच के लिए POI डेटा मांग सकता है।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

20. अतः विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने या ऐसे शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि (जांच की अवधि)

21. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. प्रक्रिया

22. इस समीक्षा में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाली अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर दिनांक 28.01.2021 के सभी पहलू शामिल होंगे।
23. नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in जिसकी प्रति dir16-dgtr@gov.in और jd15-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
25. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में इस उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत करें।

ठ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसमें संलग्न परिशिष्ट / अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. यदि प्रश्नावली के उत्तर / अनुरोध के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक सूची, पृष्ठों की सख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय अंश में अंकित दूसरा सेट (शीर्षक सूची, पृष्ठों की सख्या आदि सहित) में प्रस्तुत की जानी चाहिए। दी गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए।
34. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
35. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए ऐसी सूचना के प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/या उसका सारांश क्यों संभव नहीं है।
36. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई / सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसे कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
38. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों / अनुरोधों को साझा करना

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश ई मेल कर दें।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर

सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

Case No. AD (SSR)-4/2024

Subject: Sunset review anti-dumping investigation against imports of “Black Toner - in powder form” from China PR, Malaysia and Taiwan

F.No. 7/12/2024-DGTR.—1. M/s Pure Toners and Developers Pvt Ltd and M/s. Indian Toners and Developers Ltd. (hereinafter referred to as 'applicants') have filed an application before the Designated Authority on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Rules'), for initiation of sunset review investigation concerning imports “Black Toner - in powder form”, (hereinafter also referred to as ‘subject goods’) originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan (hereinafter referred to as ‘subject countries’).

2. The applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the period of the imposition of the existing anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. Background

3. The Authority issued a public notice *vide* Notification No. 6/6/2020 - DGTR dated 10th February, 2020 initiating anti-dumping investigation against imports of subject goods originating in or exported from subject countries. The Authority issued Preliminary Finding *vide* Notification No 6/6/2020-DGTR, dated 18th June, 2020, recommending imposition of provisional Anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from subject countries. The provisional anti-dumping duty was imposed by Ministry of finance *vide* notification number 22/2020- Customs (ADD) dated 10th August, 2020.

4. The Authority issued Final Finding *vide* Notification No. 6/6/2020-DGTR, dated 28th January, 2021, recommending imposition of Anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from subject countries. The anti-dumping duty was imposed by Ministry of finance *vide* notification number 12/2021- Customs (ADD) dated 05th March, 2021 w.e.f from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty i.e., 10th August, 2020.

B. Product under Consideration

5. The product under consideration is Black Toner in Powder Form. The following types of Toners are not covered within the scope of the investigation.

a) Color Toner

b) MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)

c) Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment

d) Toner in Cartridge

e) Toner in liquid form

6. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification.
7. The subject products are classified under Chapter Heading 37 “Photographic or cinematographic goods” of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 37079010. However, it has been also noted from the import data that the subject goods were also imported under 37079090 HS classification. Moreover, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope. The product description prevails in circumstances of conflict.

C. Like Article

8. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as, like article, under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article, to the subject goods being imported from subject countries.

D. Domestic Industry & Standing

9. The request for the sunset review has been filed by M/s Pure Toners and Developers Pvt Ltd and M/s. Indian Toners and Developers Ltd., who are the only producers (100%) of the product under consideration in India during POI. The Authority notes that the applicants hold 100% share in total domestic production and has certified that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any exporter or importer of the subject goods in India. Therefore, for the purpose of initiation Authority has considered that the applicants can be termed as eligible Domestic Industry in terms of the Rule 2(b). Further, the applicants also pass the test of standing under Rule 5(b).

E. Subject Countries

10. The subject country in the present sunset review investigation is China PR, Malaysia and Taiwan.
11. The applicants have alleged that there are no exports of the subject goods to India from Malaysia during the period of injury due to imposition of the anti-dumping duties. Therefore, there is strong *prima facie* likelihood of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry from Malaysia if the duty is allowed to expire.

F. Likelihood of continuation or recurrence of Dumping

Normal Value for China PR

12. The applicant has requested to consider China PR as a non-market economy, unless the producers from China PR demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
13. Therefore, for the purpose of initiation of this investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Normal Value for Taiwan

14. The normal value for Taiwan has been considered based on estimates of cost of production of subject goods as per best available information after duly adjusting selling, general & administrative expense with reasonable profit.

Export Price

15. The export price of the subject goods from the subject countries has been determined from the DG Systems data with due price adjustments on account of Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Bank charges etc.

Dumping Margin

16. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. It is noted that dumping margin from China PR and Taiwan are negative.
17. The domestic industry has submitted that as per their market intelligence, the exporters / importers of the subject goods are giving post imports discounts to undercut the prices of the domestic industry. Accordingly, the below computation of the dumping margin is not reflective of the actual market condition. The domestic industry has also requested to examine this issue and adjust the post imports discounts from the import price to calculate the dumping margin.

Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Causal Link

18. The Authority notes that there is *prima facie* evidence that dumping and consequential injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. The domestic industry has claimed that its performance has improved on account of the imposition of the duties, making it vulnerable to injury in the event of cessation of duty. There is sufficient *prima facie* evidence of likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link from subject country to justify initiation of the present review investigation. The Applicants have provided information with regard to the surplus capacities, export orientation, and volume of dumped and injurious exports from the subject country to various countries globally, which collectively and cumulatively *prima facie* shows that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty
19. However, in order to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty, the Authority may seek post POI data from the applicant domestic industry and the other interested parties for examination.

G. Initiation of sunset review investigation

20. Therefore, on the basis of the duly substantiated application , and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

H. Period of Investigation (POI)

21. The period of investigation for the purpose of the present investigation is April 2023 to March 2024 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

I. Procedure

22. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 6/6/2020-DGTR dated 28.01.2021 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject countries.
23. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. Submission of information

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address adgl6-dgtr@gov.in, advl3-dgtr@gov.in, dirl6-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in. It should be ensured

that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

25. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adgl6-dgtr@gov.in, advl3-dgtr@gov.in, dirl6-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of Information on Non-Confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
33. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
34. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
35. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
36. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential

information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. Inspection of Public File

M. Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.

39. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority